राजस्थान सरकार
माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,
अशोकनगर मेन रोड़, उदयपुर– 313 001 (राज.)
Phone – Telefax (0294) 2410958, (फोन.नं.) 2414352 E-Mail : tri.udp@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ–1(2) रिसर्चफेलो./टीआरआई/2020–21 /1814 दिनांक 15-12-2020

विज्ञप्ति

शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी) एवं बारां जिले के सहरिया क्षेत्र की तहसील शाहबाद व किशनगंज के जनजाति छात्र/छात्राओं को रिसर्च फेलोशिप योजना हेतु ऑनलाईन आवेदन–पत्र विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES (2020-21) लिंक पर आमंत्रित किये जाते है। जिसकी लिंक बन्द होने की अंतिम दिनांक 31.01. 2021 है ।ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया हेतु विद्यार्थियों के लिए विस्तृत विवरण विज्ञापन/ दिशा निर्देश विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in एवं www.tad.rajasthan.gov.in/tri पर देखा जा सकता है।

ज्योति मेहता

(ज्योति मेहता)
निदेशक

d/ chandni /manuramji/letter

राजस्थान सरकार

माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर (राज.)

क्रमांक एफ–1(2) रिसर्चफेलो./टीआरआई/2020–21/ 1815 दिनांक 15.12.20

निर्देश

अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी) एवं सहरिया क्षेत्र के बारां जिले की शाहबाद व किशनगंज के मूल जनजाति छात्र/छात्राओं के लिये रिसर्च फेलोशिप योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया आरम्भ है।

शैक्षणिक सत्र 2020–21के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी) एवं सहरिया क्षेत्र की बारां जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसीलों के मूल पात्र जनजाति छात्र/छात्राओं को रिसर्च फेलोशिप योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन–पत्र विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES (2020–21) लिंक पर दिनांक15–12–2020 आमंत्रित किये जाते है। जिसकी लिंक बन्द होने की अंतिम दिनांक 31–01–2021 है।

रिसर्च फेलोशिप हेतु दिशा निर्देश –

1. योजनाओं में जिनके माता–पिता या अभिभावक आयकरदाता नहीं हो, उनके परिवार के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
2. ऑनलाईन आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन को ऑनलाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज/सूचनाएं तैयार रखना आवश्यक होगा एवं आवश्यकतानुसार मूल दस्तावेज को स्केन कर पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करना होगा, जैसे – जनआधार कार्ड, आधार नम्बर, आय की घोषणा, मूल निवास प्रमाण–पत्र, कक्षा 10वीं की अंक तालिका, गत अन्तिम परीक्षा की अंकतालिका, फीस की रसीद आदि।
3. आय घोषणा–पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही बनवाकर मूल ही स्केन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा। माता–पिता जीवित होने की स्थिति में उनका स्वयं का तथा माता–पिता के जीवित नहीं होने की स्थिति में अभिभावक का आय प्रमाण–पत्र व विवाहित महिला होने की स्थिति में पति द्वारा आय की घोषणा की जायेगी। माता–पिता नियोजित होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी एक पृष्ठीय मूल आय–प्रमाण पत्र स्केन पर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा।
4. विद्यार्थियों से सम्बन्धित आधारभूत सचनाएं जैसे– नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर आदि जनआधार पोर्टल से ली जा रही है। आवेदक के शैक्षणिक रिकार्ड एवं जनआधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता हो तथा शैक्षणिक रिकार्ड के मुताबिक आवेदक परिवर्तन कराना चाहता है, तो जनआधार पोर्टल में अंकित सूचना में जनआधार पोर्टल के माध्यम से ही संशोधन आवेदक स्वयं द्वारा करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. विद्यार्थी की प्रोत्साहन राशि जनआधार कार्ड में अंकित विद्यार्थी के बैंक खाता में हस्तान्तरित होगी। जनआधार पोर्टल में विद्यार्थी के नाम के सामने विद्यार्थी का बैंक खाता संख्या नहीं होने की स्थिति में अपने खाते में ही राशि हस्तान्तरित करवाना चाहता है, तो विद्यार्थी को जनआधार पोर्टल पर अपना बैंक खाता संख्या, IFSC कोड आदि अंकित करवाना अनिवार्य होगा।
6. विद्यार्थी को आक्षेप की पूर्ति के लिए भी अधिकतम 7 दिवस का समय प्रदान किया जाएगा। यदि विद्यार्थी 7 दिवस में आक्षेप की पूर्ति नहीं करता है तो ऐसा ऑनलाईन आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।
7. अनुसूचित जनजाति अभ्यार्थियों हेतु रिसर्च फेलोशिप योजनान्तर्गत आवश्यक शर्ते :–
   - अभ्यार्थी को कम से कम 50 प्रतिशत के साथ राजस्थान में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिये।
   - अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त केन्द्रीय/राज्य/डिम्ड/निजी विश्वविद्यालय में पी.एच.डी में पंजीकृत होने का प्रमाण संलग्न करना होगा।
   - केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सामाजिक उपक्रम/स्थानीय निकाय से वेतन/ परिलाभ प्राप्तकर्ता योजनान्तर्गत पात्र नहीं होंगे।
   - किसी भी अन्य प्रकार की छात्रवृति/अध्ययनवृति प्राप्तकर्ता योजनान्तर्गत पात्र नहीं होगें।
8. आवेदन पत्र के साथ ऑनलाईन करें :–
   - अनुसूचित जनजाति का प्रमाण –पत्र (स्व प्रमाणित)
   - अनुसूचित क्षेत्र एवं सहरिया प्रोजेक्ट क्षेत्र का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित)
   - शैक्षणिक योग्यताओं की प्रमाणित अंक तालिकाएं एवं प्रमाण पत्र (स्व प्रमाणित)
   - वार्षिक आय प्रमाण पत्र (स्व प्रमाणित) जो छः माह से पुराना न हो।
   - विश्वविद्यालय में पंजीकरण पत्र की प्रमाणित प्रति।
   - शोध विषय की रूपरेखा (सिनाप्सीज) (शोध पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित)
   - सेवारत न होने एवं अन्य छात्रवृति/अध्ययनवृति प्राप्त न करने का स्वघोषणा पत्र

(ज्योति मेहता)
निदेशक

d/ chandni /manuramji/letter